रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 1973/भाद्र 30, 1895

No. 221] **NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 1973/BHADRA 30, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st September 1973

SUBJECT.—*Conditions for Licensing imports under the Italian Supplier's Credit.*

No. 156-ITC(PN)/73.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the Italian Supplier's Credit—(effective from the 1st September, 1973)—as given in the Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

Conditions for Licensing imports under the Italian Suppliers' Credit—Effective from the 1st September, 1973

INTRODUCTION

1. Imports under the Italian Suppliers' Credit financing arrangement are necessarily on deferred terms of payment spread over a minimum period of ten years No contract envisaging payment over a lesser period will be considered as a valid contract under this Credit. No remittance or opening of a Letter of Credit is permitted except in accordance with the provisions of paragraphs 23 and 24 below.

IMPORT LICENCE

2. The Import Licence will be issued on C.I.F./C.&F. basis with initial validity of four months for contracting and twelve months for completing shipments.

3. Each Import Licence will bear a superscription—

"ITALIAN SUPPLIERS' CREDIT". The two suffixes in the licence Code classification number will be "D/IE".

4. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Branch) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

5. The condition regarding contracting will not be deemed to have been complied with unless complete contract documents, as provided in paragraph 20 below, are furnished within the stipulated period of four months.

6. Where this stipulation is not complied within four months, the import licence will be deemed to have become invalid. The import licence may, however, be revalidated on an application by the party, along with the licence in original to the licensing authority giving reasons for not complying with the requirement in time. A copy of this application will also be forwarded simultaneously to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Branch), New Delhi for information.

7. The request for revalidation would be considered by the licensing authority, on merits, in consultation with the Department of Economic Affairs, and if accepted, the licence will be revalidated for contracting for a further period not exceeding three months.

8. For revalidation of import licence for completion of shipments, due regard will be given to the delivery schedule indicated in the contract, and the subsequent amendments thereto as per procedure indicated in paragraph 18(iv) below. A strict view will, however, be taken in cases where the revalidation sought is for a period beyond three (3) months from the date of release of foreign exchange for remittin the second down payment.

NOTE.—Only the two down payments aggregating to 8—10 per cent of the co tract value and the principal instalments of the deferred portion of the contr value will be debitable to the Exchange Control Copy of the Import Licence. T interest accrued on the instalments and payable by the Importers will not b debitable to the Exchange Control Copy.

CONTRACTING

9. A contract will normally comprise an agreement signed by both the parties *viz.* the Indian importer and the Italian Supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the acceptance/confirmation thereof in equivocal terms by the Italian Supplier.

10. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending/revising the various provisions will not normally be accepted. In such cases, it is advisable to prepare a final document including therein the terms agreed to by both the parties and signed as such.

GENERAL TERMS OF CONTRACT

11. The contract should be placed on C.I.F. or C & F. basis: The value should be expressed in Italian currency.

12. If any commission is to be paid to the Indian agent of the Italian Supplier, it will be shown separately from the value of the contract. The Indian Agents' Commission will be paid in Indian rupees by the importers but will be set against the total value of the Import Licence.

13. The value should be reckoned at the Central rate of one Italian Lira= Rs. 0.013. The above rate of exchange is, however, subject to revision.

VALUE LIMITS OF CONTRACTS

14. The value of each individual contract should not be below Rupees Sixty-five thousand (65,000/-).

ORIGIN OF GOODS

15. The goods should be of Italian origin. A stipulation as to the origin of goods should be incorporated in the contract.

PAYMENT TERMS

16. The following payment terms are eligible under this financing arrangements:—

(a) Payment of three (3) to five (5) percent of the C.I.F./C.&F. value (excluding Indian Agents Commission, if any) on order becoming effective;

(b) Payment of five(5) per cent on completion of shipment;

(c) The balance, namely ninety (90) to ninety two (92) percent spread over in equal instalments, annual or half yearly, over a period of ten(10) years—first instalment commencing one year after the completion of shipment in the case of annual instalments and six months after the completion of shipment in the case of half yearly instalments.

(d) The rate of interest on outstanding balances of principal, *including credit insurance charges*, if any, should not exceed six (6) per cent per annum.

The conditions indicated at (a), (b), (c) and (d) above should invariably be incorporated in the contract.

17. A Bank Guarantee from a first class bank may have to be furnished by the Indian importer to the satisfaction of the Italian Supplier in respect of the deferred payment portion of the value of the contract.

OTHER CONDITIONS

18. To make a contract eligible for financing under the Italian Suppliers Credit, the following provisions, apart from the conditions stipulated above as also any others considered necessary by the contracting parties, should also be incorporated in the contract—

(a) the two contracting parties agree that the contract is subject to the approval of both the Indian and Italian authorities for financing under the Italian Suppliers' Credit.

(ii) the prices indicated herein are firm for the duration of the contract;

(iii) A schedule indicating the instalments under the deferred payment portion of the contract value as per the format indicated in Annexure I has been prepared and attached to the contract. (Only the amount of the principal instalments will be debitable to the Exchange Control Copy of the Import licence).

(iv) The contract should normally have no provision for financing Erection or engagement/deputation of technicians. In case it is inevitable, necessary clearances from the competent authorities should be obtained before entering into a contract and the contract should be supported by certified/photostat copies of such clearances.

(v) The delivery schedule will be indicated in the contract clearly. Any change in the delivery schedule will be promptly reported to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Branch) with suitable explanation for the change.

CUSTOMARY GUARANTEE

19. The importer may arrange and provide for in the agreement Customary Guarantee(s) which will be necessary for safeguarding his interest.

SUBMISSION OF CONTRACT

20. Within a month of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Branch), North Block, Central Secretariat, New Delhi:—

(i) Six certified copies of the contract duly executed in English language.
(ii) Photostat copy of the Import licence; and
(iii) Particulars stipulated in Annexure I.

A contract will be processed further only after all these documents have been furnished by the importer.

NOTIFICATION OF THE CONTRACT

21. If the contract is complete, the documents etc. are in order and the import licence is valid for contracting, the same will be notified by the Department of Economic Affairs to the Italian authorities through Embassy of India, Rome.

22. The contract will be deemed to have become effective only when the Department of Economic Affairs after receiving the approval of the Italian authorities, has issued a letter to that effect.

PAYMENTS TO SUPPLIERS

23. The first 3-5 percent down payment will be authorised simultaneously with the issue of the letter making the contract effective.

24. For the second down payment of 5 percent, the importers will approach the Department of Economic Affairs a month or so in advance of the date of shipment. In any case, the gap between the release of the second down payment and the date of shipment should not exceed three months.

SUBMISSION OF REPORT

25. A monthly report, as in Annexure III showing the utilisation status of the licence should be furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block, New Delhi—One copy addressed to F.E.P. Branch and another to W.E. III Branch.

MISCELLANEOUS

26. The Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, which may arise, between the Indian Importer and the Italian Suppliers.

27. The Indian importer shall promptly comply with any direction, instructions, or orders issued by Government from time to time regarding any and all matters arising or pertaining to the import licence.

28. Any breach or violation of any of the conditions prescribed herein will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947, and orders issued, thereunder.

ANNEXURE I

Illustrative Deferred Payment Schedule

[Reference Para 18(iii)]

Re: Supply of..
(short description of goods or services).
by .... under Italian Suppliers Credit against Import
(Name of Suppliers)
Licence. No. .... dated ....

No. and date of the contract ....
Total amount of Supply Lit. ....
First payment of 3/5 per cent Lit. ....
Second payment of 5 per cent. Lit. ....
Balance to be paid in Ten yearly instalments / Twenty half yearly Lire ....
Rate of Interest ....

S. No. Due Date	Principal Instalment It. Lire	Interest It. Lire	Total It. Lire
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
0.			
etc.			
TOTAL:			

ANNEXURE II

(In duplicate)

(Reference Para 20)

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
W.E. III Branch.
North Block, Central Secretariat,
New Delhi.

SUBJECT.—*Import under the Italian Suppliers Credit.*

Sir,

In connection with the import of .... from Italy under
Short description of the goods or services.
the Italian Suppliers Credit, we furnish the following particulars:—

(i) Details of the import licence—

(a) Number

(b) Date of issue and date of revalidation, if any, and period of validity.

(c) Value.

(ii) Whether contract finalised within the validity period of the import licence, if not, reasons for the same.

(iii) Name and address of the Indian importer.

(iv) Name and address of the Italian suppliers.

(v) Value of the contract in Italian Lire ....

(vi) Short description of goods to be imported.

(vii) Terms of delivery (e.g. c.i.f. or c. & f: etc:):

(viii) Schedule for deliveries-expected date of completion of deliveries.

(ix) Indian Agent's Commission, if any, included in the contract.

(x) Branch of the Reserve Bank of India having jurisdiction over the place where importer functions.

2. Six certified copies of the contract (or confirmation of the order and the letter of acceptance/confirmation from the suppliers) and of the amendment (if any), and a photostat copy of the Import licence are enclosed.

3. You are requested to forward the contract to the Italian authorities for approval for being financed under the Italian Suppliers Credit.

Yours faithfully,
Licensee.

ANNEXURE III

(Reference para 25)

(To be furnished separately in respect of each licence).

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
F.E.P. Branch
North Block, Central Secretariat,
New Delhi.

SUBJECT.—*Italian Suppliers Credit—Form of Utilisation Report.*

Sir,

In connection with the import of .... from Italy under
short description of goods or services)
the Italian Suppliers Credit under our Contract approved in Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs letter No. .... dated the ...., we furnish the report of utilisation in the prescribed form for the month ending ....197 :—

1. Name of the Importer.
2. Number and date of Import licence.
3. Value of the Import licence.
4. Value of orders placed.
5. Value of orders yet to be placed.
6. Payments made against the orders already placed—

	Amount Lire	Amount Rupees	Date
(a) First Down Payment			
(b) Second Down payment			
(c) Principal instalments of deferred portion of the contract value. 1. 2. 3. etc.			

(a)

7. Source of remittance *i.e.* whether through Governmental channels abroad (like ISM, Washington or ISM London) or through an authorised dealer in foreign exchange in India.

(b) If through an authorised dealer:—

(i) Name and address of the Banker;

(ii) Reserve Bank of India, Exchange Control Department approval No. ....and date (if known).

8. Payments yet to be made (with a quarterly estimate of payments with values and anticipated dates of payment).

9. Surrenders, if any.

Signature of the authorised officer of the Importer.

Copy forwarded for information to the W.E. III Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block, Central Secretariat, New Delhi.

Signature of the authorised officer of the Importer.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1973

विषय :—इटली के संभरकों के क्रेडिट के अधीन आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तें।

संख्या : 155-**आई० टी० सी०** (6**पीएन**)/73.—इटली के संभरकों के क्रेडिट (1 सितम्बर, 1973 से लागू) के अधीन आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने की जैसी शर्तें—इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है।

परिशिष्ट

इटली-संभरकों के क्रेडिट के अधीन आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तें—
1 सितम्बर, 1973 से लागू ।

प्रस्तावना

1. इटली संभरकों के क्रेडिट के अन्तर्गत आयातों के लिए वित्तदान की व्यवस्था आवश्यक रूप से भुगतान की आस्थगित शर्तों पर करनी होती है । भुगतान की इन आस्थगित शर्तों की कम से कम अवधि 10 साल की समय-सीमा में विस्तृत है । इससे कम अवधि सीमा में भुगतान वाली कोई भी संविदा इस क्रेडिट के अन्तर्गत वैध संविदा नहीं मानी जाएगी । निम्न-लिखित पैरा 23 और 24 की शर्तों के अतिरिक्त कोई भी धन परेषण करने या साखपत्र खोलने की अनुमति नहीं है ।

आयात-लाइसंस

2. आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए 4 महीनों की और पोत लदान पूर्ण करने के लिए 12 महीनों की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा ।

3. प्रत्येक आयात लाइसेंस पर एक शीर्ष लेख "इटली संभरकों का क्रेडिट" होगा । लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में दो प्रत्यय "डी/आई ई" होंगे ।

4. आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और सम्भाव्य तिथि जिस तक संविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जायेंगे, को निर्दिष्ट करते हुए, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-ई -3 अनुभाग) को आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तथ्य की सूचना देनी चाहिए ।

5. जब तक निम्नलिखित पैरा 20 के अनुसार चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संविदा के पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तब तक संविदा करने से सम्बन्धित शर्त का पालन किया गया नहीं समझा जाएगा ।

6. यदि किसी मामले में चार महीनों के भीतर इस शर्त का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो आयात लाइसेंस अवैध समझा जाएगा । लेकिन, पार्टी द्वारा समय के भीतर शर्त का अनुपालन न करने के कारण बताते हुए, लाइसेंस के साथ एक आवेदन-पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को देने पर आयात लाइसेंस पुनर्वैध किया जा सकता है । साथ ही साथ इस आवेदनपत्र की एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू—ई—3 शाखा), नई दिल्ली को भी सूचना के लिए भजी जाएगी ।

7. पुनर्वैधीकरण के लिए आवदन पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा, और यदि आवेदन स्वीकृत किया गया तो लाइसेंस संविदा करने के लिए अधिकतम तीन महीनों की और अवधि के लिए पुनर्वैध किया जाएगा ।

8. पोतलदानों के पूर्ण करने के लिए आयात लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए संविदा में निर्दिष्ट वितरण अनुसूची और उसमें नीचे पैरा 18(4) में निर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार बाद में किए गए संशोधनों पर उचित ध्यान दिया जाएगा । लेकिन, जिन मामलों में द्वितीय तत्क्षण भुगतान का धन परेषण करने के लिए विदेशी मुद्रा की रिहाई की तिथि से 3 (तीन)

महीनों के बाद की अवधि के लिए पुनर्वधीकरण चाहा गया है, उन में कड़ाई से विचार किया जाएगा ।

टिप्पणी :—संविदा मूल्य के 8–10 प्रतिशत तक सामूहिक रूप में केवल दो तत्क्षण भुगतान और संविदा मूल्य के आस्थगित भाग की मूल किश्तें आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के नामे लिखी जाएंगी । किश्तों पर प्रोद्भूत और आयातकों द्वारा देय ब्याज मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के नामे नहीं लिखा जाएगा ।

संविदा करना

9. एक संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और इटली के संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता समाविष्ट होगा या इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया आदेश और इटली के संभरक द्वारा साफ साफ शब्दों में उस आदेश की स्वीकृति/पुष्टिकरण समाविष्ट हो सकता है ।

10. जिस संविदा में दो पार्टियों के बीच संविदा की विभिन्न शर्तों को बार-बार संशोधित करने/परिशोधित करने के लिए कई पत्राचार समाविष्ट हो वह सामान्यतः स्वीकृत नहीं की जाएगी । ऐसे मामलों में दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकृत और हस्ताक्षरित शर्तों सहित एक अन्तिम दस्तावेज तैयार करने का परामर्श दिया जाता है ।

संविदा की सामान्य शर्तें

11. संविदा लागत बीमा-भाड़ा या लागत और भाड़ा के आधार पर होनी चाहिए । मूल्य इटली की मुद्रा में अभिव्यक्त होना चाहिए ।

12. यदि इटली के संभरक के भारतीय अभिकर्त्ता को कोई कमीशन चुकाया जाना है तो उसे संविदा के मूल्य से अलग प्रदर्शित किया जाएगा । भारतीय अभिकर्त्ता का कमीशन आयातकों द्वारा भारतीय रुपये में चुकाया जाएगा लेकिन, यह आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के प्रति समंजनीय होगा ।

13. मूल्य एक इटली लिरी=0.013 रुपये की केन्द्रीय दर पर गिना जाना चाहिए । लेकिन, विनिमय की उपर्युक्त दर परिशोधन के अधीन है ।

संविदाओं की मूल्य सीमाएं

14. अलग-अलग प्रत्येक संविदा का मूल्य पैंसठ हजार रुपये (65,000 रुपये) से कम नहीं होना चाहिए ।

माल का उद्गम स्थान

15. माल इटली मूल का होना चाहिए । माल के उद्गम स्थान के विषय में संविदा में एक अनुबन्ध सम्मिलित होना चाहिए ।

भुगतान की शर्तें

16. इस वित्तदान-व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित भुगतान शर्तें वांछनीय हैं :—

(क) लागत-बीमा-भाड़ा / लागत और भाड़ा मूल्य के तीन (3) से पांच (5) प्रतिशत तक का भुगतान (भारतीय अभिकर्त्ता का कमीशन यदि कोई हो तो उसको छोड़ कर) आदेश लागू होने पर ;

(ख) पांच (5) प्रतिशत का भुगतान पोतलदान के पूर्ण होने पर ;

(ग) शेष अर्थात् नब्बे (90) से बानवें (92) प्रतिशत दस (10) वर्षों की अवधि में विस्तृत वार्षिक या अर्धवार्षिक बराबर किश्तों में—वार्षिक किश्तों के मामले में पोतलदान के पूर्ण होने के बाद एक वर्ष होने पर प्रथम किश्त और अर्ध वार्षिक किश्तों के मामले में पोतलदान पूर्ण होने के बाद 6 महीने होने पर ;

(घ) शेष बिना चुकाए गए मूल धन पर ब्याज की दर, यदि कोई हो तो **क्रेडिट-बीमा प्रभारों सहित** छः (6) प्रतिशत सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपर्युक्त (क), (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट शर्तें संविदा में अपरिवर्तनीय रूप से शामिल होनी चाहिए।

17. संविदा के मूल्य के आस्थगित भुगतान भाग के सम्बन्ध में इटली के संभरक की संतुष्टि के लिए भारतीय आयातक को प्रथम श्रेणी के बैंक से एक बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी पड़ सकती है।

अन्य शर्तें

18. इटली संभरक क्रेडिट के अन्तर्गत संविदा को वित्तदान के योग्य बनाने के लिए, उपर्युक्त निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त और संविदा करने वाली पार्टियों द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी अन्य शर्त के भी अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्त भी संविदा में सम्मिलित होनी चाहिए :—

(1) संविदा करने वाली दो पार्टियां सहमत हैं कि संविदा इटली संभरक क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए भारतीय और इटली दोनों के प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन है;

(2) इस में निर्दिष्ट की गई कीमतें संविदा के अवधि काल के लिए निश्चित है;

(3) संविदा मूल्य के आस्थगित भुगतान भाग के अन्तर्गत किश्तों को निर्दिष्ट करते हुए एक अनुसूची अनुबन्ध 1 से निर्दिष्ट आकार के अनुसार तैयार की गई है और संविदा में संलग्न कर दी गई है (केवल मूल धन की किश्तों की धनराशि आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के नामे लिखी जाएगी)।

(4) निर्माण या वायदा/तकनीशनों की प्रतिनियुक्ति के वित्तदान के लिए संविदा में सामान्यतः कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि किसी मामले में यह अपरिहार्य हो तो संविदा करण से पहले समर्थ प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए और संविदा ऐसी अनुमति की प्रमाणित/फोटो स्टेट प्रतियों द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

(5) वितरण अनुसूची संविदा में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी। वितरण अनुसूची में होने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू–ई–3 शाखा) को परिवर्तन के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ तुरन्त दी जाएगी।

प्रथागत गारण्टी

19. आयातक समझौते में प्रथागत गारण्टी (गारन्टियों) की व्यवस्था कर सकता है जो उसके हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक होंगी।

संविदा का प्रस्तुतीकरण

20. संविदा समापन के एक महीने के भीतर आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (डब्ल्यू ई–3 शाखा), नार्थ ब्लाक केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली को भेजना चाहिए :—

(1) अंग्रेजी भाषा में निष्पादित संविदा की छः प्रमाणित प्रतियां ;

(2) आयात लाइसेंस की फोटोस्टेट प्रति; और

(3) अनुबन्ध 1 में निर्धारित ब्यौरे ।

संविदा पर आगे केवल तभी विचार किया जाएगा जब कि आयातक द्वारा ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों ।

संविदा की अधिसूचना

21. यदि संविदा पूर्ण है, दस्तावेज आदि सही हैं और आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए वैध है तो संविदा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारत के दूतावास, रोम के माध्यम से इटली के प्राधि-कारियों को अधिसूचित की जाएगी ।

22. संविदा केवल तभी लागू समझी जाएगी जब कि आर्थिक कार्य विभाग इटली के प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी करदे ।

संभरकों के लिए भुगतना

23. प्रथम 3 से 5 प्रतिशत का तत्क्षण भुगतान संविदा को प्रभावी बनाने वाले पत्र के जारी होने के साथ साथ प्राधिकृत किया जाएगा ।

24. द्वितीय 5 प्रतिशत के तत्क्षण भुगतान के लिए आयातक पोतलदान की तारीख के लगभग 1 मास पूर्व ही या ऐसे ही अग्रिम रूप में आर्थिक कार्य विभाग से सम्पर्क स्थापित करेंगे । किसी भी स्थिति में द्वितीय तत्क्षण भुगतान की रिहाई और पोतलदान की तारीख के बीच का अन्तर 3 मास से अधिक नहीं होना चाहिए ।

रिपोर्ट प्रस्तुत करना

25. लाइसेंस के उपयोग की स्थिति को दर्शाते हुए अनुबन्ध–2 के रूप में एक मासिक रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यविभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति एफ–ई.पी. शाखा तथा दूसरी प्रति डब्ल्यू ई–3 शाखा को भेजी जानी चाहिए।

विविधो

26. भारतीय आयातक और इटली संभरकों के बीच यदि कोई झगड़ा उत्पन्न होता है तो भारत सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी ।

27. भारतीय आयातक, आयात लाइसेंस से सम्बन्धित या इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले तथा सभी मामलों के बारे में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेशों अनुदेशों अथवा आदेशों का शीघ्र पालन करेगा ।

28. इसमें निहित निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त को तोड़ने या उसका उल्लंघन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा इसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी ।

अनुबन्ध 1

विस्तृत आस्थगित भुगतान अनुसूची

(पारा 18(3) के संदर्भ में)

संदर्भ : इटली संभरक क्रेडिट के अन्तर्गत आयात लाइसेंस संख्या ——————————————, दिनांक —————————— के मद्दे ——————————————

(संभरक का नाम)

के द्वारा ——————————————का संभरण ।

(माल या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

संविदा की सं० तथा दिनांक ——————————————

संभरण का कुल मूल्य लिट ——————————————

3/5 प्रतिशत का प्रथम भुगतान लिट ——————————————

5 प्रतिशत का द्वितीय भुगतान लिट ——————————————

दस वार्षिक किश्तों में लीरी ——————————में अदा किया जाने वाला शेष ——————————

बीस अर्ध वार्षिक

ब्याज की दर ——————————————

क्रम सं०	देय तारीख	मूल धन की किस्त इटली	मूल धन की किस्त लीरी	ब्याज इटली	ब्याज लीरी	कुल इटली	कुल लीरी
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
आदि—							
कुल							

अनुबन्ध 2

(दो प्रतियों में)

(पारा 20 के संदर्भ में)

सेवा में,

सचिव,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
डब्ल्यू ई–3 शाखा ,
नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय,
नई दिल्ली ।

विषय :— इटली संभरक—क्रेडिट के अन्तर्गत आयात ।

महोदय,

इटली संभरक–क्रेडिट के अन्तर्गत इटली से —————————————————————————————— (माल या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण) के आयात के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(1) आयात लाइसेंस के ब्यौरे :—

(क) संख्या

(ख) जारी करने की तिथि तथा पुनर्वैधीकरण की तिथि यदि कोई हो, और वैधता की तिथि —

(ग) मूल्य

(2) क्या संविदा वैधता अवधि के भीतर समाप्त कर दी गई थी यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

(3) भारतीय आयातक का नाम तथा पता :

(4) इटली संभरकों का नाम और पता

(5) इटली लीरी में संविदा का मूल्य ——————————————

(6) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण

(7) सुपुर्दगी की शर्तें (उदाहरणार्थ लागत–बीमा–भाड़ा अथवा लागत तथा भाड़ा आदि)

(8) सुपुर्दगी के लिए समय—सुपुर्दगियों को पूर्ण करने की — अनुमानित तिथि

(9) संविदा में शामिल किया गया भारतीय अभिकर्त्ता का कमीशन, यदि कोई हो ,

(10) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की शाखा जिस के अधिकार क्षेत्र में वह स्थान है जहां आयातक कार्य करता है ।

2. संविदा की (अथवा संभरकों से आदेश के पुष्टिकरण तथा स्वीकृति / पुष्टिकरण पत्र की) और संशोधन (यदि कोई हो), की 6 प्रमाणित प्रतियां और आयात लाइसेंस की एक फोटोस्टेट प्रति संलग्न की जाती है।

3. आप से अनुरोध किया जाता है कि इटली संभरक-क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए जाने के लिए अनुमोदन के लिए संविदा को इटली प्राधिकारियों को प्रेषित करें।

भवदीय,

लाइसेंसधारी।

अनुबन्ध 3

(पारा 25 के संदर्भ में)

(प्रत्येक लाइसेंस के लिए अलग अलग दिया जाना है)

सचिव,

वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग,

एफ०-ई० पी० शाखा,

नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय,

नई दिल्ली।

विषय : **इटली संभरक क्रेडिट—उपयोगीकरण का प्रपत्र।**

महोदय,

इटली संभरक क्रेडिट के अन्तर्गत और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की पत्र संख्या ———————— दिनांक ———————— के अन्तर्गत अनुमोदित हमारी संविदा के अन्तर्गत इटली से ————————————————————————

(माल या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

के आयात के सम्बन्ध में हम ————————————197 ——— मास के अन्त के लिए निर्धारित प्रपत्र में उपयोगीकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :—

1. आयातक का नाम।
2. आयात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. दिए गए आदेश का मूल्य
5. उस आदेश का मूल्य जो अभी दिया जाना है।

6. पहले से ही दिए गए आदेशों के मद्दे किए गए भुगतान —

	राशि		दिनांक
	लीरी	रुपये	
(क) प्रथम तत्क्षण भुगतान			
(ख) द्वितीय तत्क्षण भुगतान			
(ग) संविदा मूल्य के आस्थगित भाग की मूल धन किश्त 1.			
2.			
3.			
आदि			

7. (क) प्रेषण के स्रोत अर्थात् क्या यह विदेश में सरकारी सूत्रों के माध्यम (जैसे आइ एम एम, वाशिंगटन अथवा आइ एम एम, लन्दन) से होगा अथवा भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से।

(ख) यदि प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से हो तो—

(1) बैंकर का नाम तथा पता

(2) रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग की अनुमोदन संख्या—— तथा दिनांक (यदि ज्ञात हो).

8 व भुगतान जो अभी किए जाने हैं, (भुगतान की प्रस्तावित तिथि और मूल्य के साथ भुगतानों के त्रैमासिक अनुमान के साथ)।

9 अभ्युक्ति, यदि कोई हो तो

आयातक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

एम० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973